


BHOPALRAO PAWAR GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE

DHAMTARI, DISTT. DHAMTARI (C.G.)

ADMISSION FORM



SESSION : 20 - 20

ROLL NO. ALLOTIED

1. NAME OF CANDIDATE
(In Block Capitals)
2. FATHER'S NAME
3. MOTHER'S NAME
4. RECENT PRESENT ADDRESS
(If Hosteler, mention hosteler)
5. PERMANENT ADDRESS
6. CATEGORY (G./SC./ST./OBC.)
7. DATE OF BIRTH
8. Mob. No.& Parent's MO. No.
9. AADHAAR No.

I here by declare that the information given above about my self is correct & is best of my belief. If it is found incorrect otherwise, my admission may be cancelled. I have by Granting consent to BRP Govt. poly for use of my addhar no for academic purpose.

Signature of the Candidate

Name :-

Verified and found to be eligible for REGULAR/PROVISIONAL ADMISSION to

..... Semester Engg. fees may be accepted.

COUNTER SIGNED
PRINCIPAL

VERIFING OFFICER

I/C ADMISSION

Admission fees collected

Govt. fees Rs. R/No. Dated

Non Govt. fees Rs. R/No. Dated

Signature of Accountant

भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, रुद्री जिला- धमतरी (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ पॉलीटेक्निक के प्रवेश प्राप्त
माता पिता अभिभावक द्वारा दिये जाने वाला वचन पत्र

वचन पत्र

मैं (पिता/ माता/ अभिभावक)

छात्र/ छात्रा प्रथम सेमेस्टर

विभाग पॉलीटेक्निक, धमतरी संस्था की विवरण पत्रिका में समाविष्ट छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश के
7 नियम 12 एवं 13 (आचरण संहिता के निम्नांकित प्रावधान से पूर्णतः भिन्न हूँ)

1. यह कि छात्र/ छात्रा संस्था में अच्छा व्यवहार करेगा/ करेगी, परिणाम पूर्वक अध्ययन करेगा/ करेगी, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा/ रखेगी, सहपाठ्यधारी कार्यकलापों में सुचारू रूप से भाग लेगा/ लेगी और संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करेगा/ करेगी ।
2. छात्र/ छात्रा के संस्था परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाये जाने या निरन्तर अनुपस्थिति के दोषी पाये जाने पर प्राचार्य अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार संहिता में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार -
(क) छात्र / छात्रा को एक समय में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिये कक्षा में भाग लेने से वंचित कर सकेगा । या
(ख) संस्था से निकाल (एकस्पैल) सकेंगे । या
(ग) छात्र/ छात्रा को अगली परीक्षाओं में भाग लेने से अपात्र घोषित कर सकेंगे । या
(घ) ऐसे छात्र / छात्रा को निकाली या रेस्ट्रिकेट कर सकेंगे ।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह स्वीकार करता हूँ कि छात्र ऐसी गतिविधियों में देवित करें या संस्था में पठन / पाठन का व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करे, भागनही लेगा/लेगी ।
4. मैं स्वीकार अता हूँ कि छात्र / छात्रा के माध्यम से प्रविष्ट रहने की अवधि में किसी भी कारण विशेष कर उपस्थिति संबंधी (विश्वविद्यालय नियमानुसार - 75% उपस्थिति) कारण से संस्था के प्राचार्य द्वारा बुलाया जाने पर जिसको सूचना मुझे छात्र / छात्रा के माध्यम से सीधे प्राप्त होगी, मैं निर्दिष्ट अवधि में प्राचार्य के सम्मुख उपस्थित होऊंगा । ऐसा न करने पर प्राचार्य को केवल इस आधार पर कि मैं उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, यह अधिकार होगा कि वे छात्र/ छात्रा को निलंबित का सकेंगे या उसका प्रवेश निरस्त कर सकेंगे । (परीक्षा से वंचित/निलंबन/ प्रवेश) जिसकी जिम्मेदारी स्वतः छात्र/छात्रा एवं अभिभावक की होगी ।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अध्ययन काल में छात्र के एक संस्था से दूसरे संस्था में योग्यता या अन्य कारणों से प्रवेश का स्थानान्तरण की स्थिति में यह वचन पत्र पूर्व को संस्था द्वारा स्थानान्तरण की संस्था को भेजा जा सकेगा, तथा दूसरी संस्था में इसी वचन पत्र की शर्तें बंधनकारी रहेगी ।
6. मैं अध्ययनकाल के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पौधा गमला (नाम एवं बांच) सहित संस्था को दान एवं उसकी देखभाल भी उपरोक्त अवधि में करूंगा ।

जो लागून हो उसे काट दें :-

स्थान उक्तवचन पत्र मेरे समक्ष करें

हस्तांतरित दिनांक

प्रस्तुत किया गया ।

माता/पिता अभिभावक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

स्थायी पता

फोन नं.

मो.नं.